शिक्षा विभाग, बिहार

बिहार सरकार

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

मार्गदर्शिका

NIPUN BIHAR

National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding & Numeracy

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में यह उल्लिखित है कि प्रारंभिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के मूलभूत कौशलों को प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई अध्ययनों में यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान समय में हमारे राज्य में प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने–सिखाने की दर में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने के स्तर की कमी अत्यधिक चिन्ताजनक है क्योंकि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चों के भावी शिक्षण का आधार है। अतएव सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे इस महत्वपूर्ण बुनियादी शिक्षण (अर्थात् प्रारंभिक स्तर पर पठन, लेखन और गणित कौशल) के स्तर को ससमय प्राप्त कर लें।

इस दिशा में, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना 'निपुण भारत' के नाम से की गई है। मिशन के तहत यह तय किया गया है कि वर्ष 2026–27 तक प्राथमिकता के आधार पर कक्षा 3 तक के सभी बच्चे भाषा एवं गणित की मूलभूत दक्षताएँ अवश्य प्राप्त कर लें। इसी सन्दर्भ में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा 'मिशन निपुण' के अनुरूप बिहार राज्य के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इसके अनुसार वर्ष 2026–27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन (FLN Mission) के तहत प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभाग ने बुनियादी सक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका विकसित की है। इस मार्गदर्शिका में मिशन से जुड़े सभी हितधारकों की मिशन के प्रति भूमिका एवं जिम्मेदारियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

मैं इस मिशन की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को राज्य जल्द से जल्द प्राप्त कर ले, ऐसी कामना करता हूँ।

प्रो0 चन्द्र शेखर
शिक्षा मंत्री, बिहार

संदेश

पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। वर्तमान में राज्य के सभी बच्चों के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय की उपलब्धता से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है एवं छीजन दर में कमी आई है। परंतु इसके बावजूद अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चों के सीखने की दर में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है। छोटे बच्चों में सीखने के स्तर की कमी अधिक चिंताजनक है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा बच्चों के भावी शिक्षण का आधार है। समझ के साथ पढ़ने, लिखने और मूलभूत गणितीय प्रश्नों को हल करने के कौशलों को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण, बच्चे कक्षा–3 के बाद की पाठ्यचर्या की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। बुनियादी शिक्षा की इस महत्ता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार – 'हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2026–27 तक प्राथमिक और उससे आगे सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की होनी चाहिए। यदि हम इस महत्वपूर्ण बुनियादी शिक्षण (अर्थात् प्रारंभिक स्तर पर पठन, लेखन और गणित कौशल) के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो शेष नीति हमारे बच्चों की एक बड़ी संख्या के लिए मुख्य रूप से अप्रासंगिक हो जाएगी।'

इस दिशा में, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना 'निपुण भारत' के नाम से की गई है। मिशन के तहत यह तय किया गया है कि वर्ष 2026–27 तक प्राथमिकता के आधार पर कक्षा 3 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित की बुनियादी दक्षताएं अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। राज्य के द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तथा इसकी प्राप्ति के लिए राज्य स्तर से लेकर संकुल स्तर तक विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

मिशन निपुण के अन्तर्गत अधिगम के पांच क्षेत्रों, यथा – बच्चों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में स्कूल की पहुँच प्रदान करना और उन्हें स्कूलों में बनाए रखना, शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता एवं विविधतापूर्ण छात्र एवं शिक्षण संसाधनों/अधिगम सामग्री का विकास, अधिगम परिणाम-उपलब्धि में प्रत्येक छात्र की प्रगति को ट्रैक करना तथा बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) के पहलुओं के समाधान पर रणनीति बनाने का कार्य किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य एक सक्षम विद्यालीय परिवेश का निर्माण करना है, ताकि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की सार्वभौमिक उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही प्रत्येक बच्चा कक्षा - 3 तक के पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान के कौशलों की अपेक्षित शिक्षण–क्षमताओं को प्राप्त कर ले। यह कार्यक्रम, प्री–प्राइमरी स्कूल/आंगनबाड़ी एवं कक्षा–1 के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में भी मदद करेगा।

यह मार्गदर्शिका मिशन निपुण के प्रमुख तकनीकी पहलुओं को सभी स्तरों पर प्रभावी ढ़ंग से लागू करने में सहायक होगी।

दीपक कुमार सिंह, IAS
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

संदेश

पिछले दशकों में राज्य के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप विद्यालयों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि हुई है परंतु आशा के अनुरूप बच्चों में गुणात्मक विकास नहीं हो पाया है। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण बताते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की दक्षता में सुधार नहीं होने से बच्चों में आगे की कक्षाओं में पढ़ने का रुझान कम हो जाता है एवं बच्चे विद्यालय से दूर होते जाते हैं। बिहार में इसी वजह से उच्च विद्यालय स्तर पर बच्चों का छीजन दर भी अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की कम उपलब्धि स्तर को रेखांकित किया गया है एवं इस समस्या के निवारण हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के इसी आग्रह पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई 2021 को 'निपुण भारत' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) मिशन की शुरूआत की गई है। राज्य सरकार ने निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत तय किए गए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप राज्य के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसके अनुसार वर्ष 2026–27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत तीसरी कक्षा के अंत तक प्रत्येक बच्चे में पढ़ने, लिखने एवं अंकगणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता विकसित की जाएगी।

मिशन निपुण बिहार के तहत विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न स्तरों पर आई0टी0 आधारित संसाधनों के माध्यम से इस मिशन की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बच्चे के उपलब्धि स्तर की ट्रैकिंग भी की जाएगी।

आशा है कि यह मागदर्शिका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सफल क्रियान्वयन में उपयोगी होगी।

शुभकामनाओं सहित।

असंगबा चुबा आओ, IAS
राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

संदेश

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य 3–9 आयुवर्ग के बच्चों के लिए 'निपुण भारत मिशन' में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह मार्गदर्शिका विभिन्न स्तरों पर गठित मिशन एवं कार्यबल को कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में दिशा प्रदान करेगी।

मिशन के माध्यम से 3–9 आयुवर्ग के सभी बच्चों को एक अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस मिशन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अंतर्गत संचालित किया जाएगा एवं मिशन के लिए वित्तीय संसाधन समग्र शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसा देखा जाता है कि हमारे शिक्षकों द्वारा छोटे बच्चों (3–9 वर्ष) को पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए कक्षाओं के अंदर बहुभाषिता का संसाधन के रुप में उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से यह भी पता चलता है कि बच्चों के मौखिक व लिखित भाषा के बीच की निरंतरता के संबंधों को स्थापित नहीं किया जाता है। यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के शुरुआती वर्षों में पढ़ाने के लिए उनकी मातृभाषा की महता को अवश्य समझें। शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया व पद्धतियों में भाषाई संवेदनशीलता बच्चों के साथ जुड़ाव एवं उनके साथ सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सबल बना सकती है। विद्यालयों एवं विद्यालय प्रबंधकों को यह समझना होगा कि बुनियादी शिक्षा अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का साधन भी है।

मैं आशा करता हूं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति से बच्चों एवं उनके अभिभावकों के बीच शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ेगा एवं दूर दराज तक के बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुलभ हो सकेगी। 'निपुण बिहार' मिशन के सफल क्रियान्वयन में माता–पिता एवं पूरे समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे अपना अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत करते हैं, ऐसे में बच्चों के सीखने की क्षमता का विकास विद्यालय के साथ–साथ घर पर भी होता है। इसलिए विद्यालयों द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि बच्चों के माता–पिता को भी बच्चों की शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाएंगे जैसे कि– स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जिनमें माता–पिता को बुलाया जाएगा, व्हाट्सएप एवं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से माता–पिता को बच्चों की पढ़ाई से जोड़ा जाएगा।

मुझे उम्मीद है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के क्रियान्वयन के लिए यह मार्गदर्शिका मददगार सिद्ध होगी।

रवि प्रकाश, IAS
निदेशक
प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार

विषय–सूची

क्र	विषय	पृष्ठ सं0
1.	**प्रस्तावना**	8
2.	**अध्याय–1 : वर्तमान स्थिति**	9
3.	**अध्याय–2 : बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान** 2.1 बुनियादी साक्षरता 2.2 बुनियादी संख्या ज्ञान	11
4.	**अध्याय–3 : मिशन के कार्यान्वयन की रूपरेखा**	13
5.	**अध्याय–4 : क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य एवं संरचना** 4.1 लक्ष्यों का निर्धारण 4.2 मिशन की सफलता हेतु रणनीति	14
6.	**अध्याय–5 : प्रमुख हितधारक एवं उनकी भूमिका** 5.1 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार 5.2 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् 5.3 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् 5.4 समाज कल्याण विभाग 5.5 पंचायती राज संस्थाएँ 5.6 जिला पदाधिकारी 5.7 जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 5.8 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 5.9 प्रखंड विकास पदाधिकारी 5.10 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 5.11 स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर 5.12 प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक 5.13 विद्यालय के शिक्षक 5.14 सिविल सोसायटी संगठन / गैर सरकारी संगठन 5.15 शिक्षा सेवक / शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) 5.16 विद्यालय शिक्षा समिति 5.17 अभिभावक	19

◆◆◆

शब्दकोष

Glossary

BEPC	Bihar Education Project Council
CTE	Colleges of Teacher Education
DIET	District Institute for Education and Training
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing
DPMU	District Program Monitoring Unit
ECCE	Early Childhood Care and Education
FLN	Foundational Literacy & Numeracy
HPC	Holistic Progress Card
IEC	Information, Education and Communication
NAS	National Achievement Survey
NCC	National Cadet Corps
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NEP	National Education Policy
NIPUN	National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy
NSS	National Service Scheme
PTEC	Primary Teacher Education College
SBA	School Based Assessment
SCERT	State Council of Educational Research and Training
SCRC	School Complex Resource Centre
SPMU	State Program Monitoring Unit
UDISE	Unified District Information System for Education
USCRC	Urban School Complex Resource Centre

प्रस्तावना

विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष में यह पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र/छात्राओं का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसे अपेक्षित मूलभूत कौशलों को हासिल नहीं कर पाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) – 2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि 'हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2026–27 तक प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करना होनी चाहिए।'

इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई 2021 को 'मिशन निपुण भारत' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding & Numeracy) का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है, ताकि वर्ष 2026–27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक समझ के साथ पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान की अपेक्षित दक्षता को प्राप्त कर सके।

इस मार्गदर्शिका में निम्न अध्यायों के अन्तर्गत बिहार राज्य के संदर्भ में 'मिशन निपुण बिहार' की अवधारणा के सथ–साथ इसके उद्देश्यों की चर्चा की गई है :–

- अध्याय–1 : वर्तमान स्थिति
- अध्याय–2 : बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान
- अध्याय–3 : मिशन के कार्यान्वयन की रूपरेखा
- अध्याय–4 : क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य एवं संरचना
- अध्याय–5 : प्रमुख हितधारक एवं उनकी भूमिका

आशा है कि बिहार राज्य में निपुण भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति में यह मार्गदर्शिका सभी हितधारकों के लिए उपयोगी साबित होगी।

◆◆◆

अध्याय–1

वर्तमान स्थिति

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का तात्पर्य – पढ़ने–लिखने और सामान्य गणितीय संक्रियाओं को हल कर पाने जैसे मूलभूत कौशलों से है। यह सर्वविदित है कि वे सभी बच्चे जो कक्षा तीन तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं, उन्हें आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम को समझने में आसानी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में भी प्रारंभिक शिक्षा की इसी महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 'हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2026–27 तक प्राथमिक और उससे आगे सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होनी चाहिए।' राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण–2021 (NAS-2021) की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्त्तमान में बिहार राज्य के आधे से अधिक बच्चे भाषा और गणित के मूलभूत कौशल हासिल किए बिना ही बुनियादी शिक्षा पूरी कर लेते हैं।

विगत वर्षों में राज्य द्वारा प्रत्येक बच्चे तक स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया है। यूडायस 2020–21 के आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 78 प्रतिशत से अधिक छात्र/छात्राएं सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी विद्यालय उपलब्ध होने के कारण यह संकल्पना बदल गई है कि 'विद्यालय तक बच्चे पहुंचें', अब विद्यालय ही बच्चों तक पहुंच चुका है।

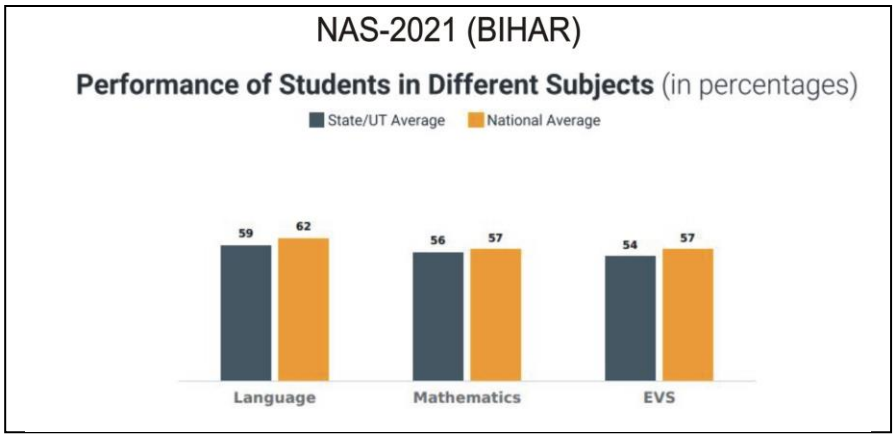

कक्षा 3 के छात्र/छात्राओं के बीच कराये गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण–2021 के अनुसार, भाषा में मात्र 59 प्रतिशत बच्चों तथा गणित में 56 प्रतिशत बच्चों का ही प्रदर्शन अच्छा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से कम है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए 'निपुण बिहार' के प्रभावी क्रियान्वन का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया गया है:–

- बच्चों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में विद्यालय में बनाए रखने के लिए आनन्ददायी वातावरण का निर्माण,
- शिक्षकों का क्षमतावर्द्धन,
- बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता एवं विविधतापूर्ण शिक्षण संसाधनों एवं अधिगम सामग्री का विकास,
- प्रत्येक छात्र/छात्रा के अधिगम परिणामों/उपलब्धि की प्रगति को ट्रैक करना,

- बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) में सुधार के लिए रणनीति बनाना एवं कार्य करना, तथा
- बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के लिए समुदाय एवं स्थानीय पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि विद्यालय में ऐसे विद्यालीय परिवेश का निर्माण किया जा सके जो वर्ष 2026–27 तक बच्चों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के अर्जन में सहायक हो सके।

◆◆◆

अध्याय–2

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान
(Foundational Literacy & Numeracy)

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) पढ़ने, लिखने और गणित की संक्रियाओं के मूलभूत कौशल को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य समझ के साथ पठन, लेखन और गणितीय प्रश्नों को हल करने के मूलभूत कौशलों को कक्षा–3 के अंत तक प्राप्त करना है। ये वे कौशल हैं, जिन पर शिक्षा की नींव आधारित है। इन्हीं बुनियादी कौशलों पर सीखने के अन्य कौशल आधारित होते हैं।

2.1 बुनियादी साक्षरता

बच्चों में बुनियादी भाषा के कौशल विकास उनके भविष्य की शिक्षा के लिए नींव का कार्य करता है। बच्चों में भाषा का प्रारंभिक ज्ञान उनके भविष्य में भाषाई कौशल के निर्माण में सहायक होता है। जिस भाषा को बच्चे स्कूल में लेकर आते हैं, वह बच्चों की मातृभाषा/घरेलू भाषा होती है और जिन बच्चों की मातृभाषा/घरेलू भाषा अच्छी होती है, वे हिंदी/अंग्रेजी/अन्य द्वितीय भाषा को अधिक आसानी से सीख लेते हैं।

2.1.1 बुनियादी साक्षरता के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

क्र0	घटक	विवरण
1	मौखिक भाषा विकास	बच्चों में अपनी भाषा में बोलने और सुनने के क्षमता का विकास करना।
2	पढ़कर समझना	बच्चों में किसी भी लिखी / छपी हुई सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की क्षमता का विकास करना।
3	प्रिंट की अवधारणा	बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रिंट समृद्ध अवधाराणा/वातावरण के संपर्क में लाना एवं परिचित कराना।
4	लेखन	बच्चों में अक्षर और शब्द लेखन क्षमता विकास के साथ–साथ अपनी बातों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से करने का कौशल विकसित करना।
5	शब्द–भंडार	बच्चों द्वारा मौखिक और लिखित रूप से नए शब्द सीखना, उनके अर्थ को समझना व विभिन्न संदर्भो में शब्दों का उपयोग कर पाना।
6	ध्वनि जागरूकता	शब्दों में निहित ध्वनि ज्ञान, जो भाषा के साथ उनके अर्थ–पूर्ण संबंध से उत्पन्न होते हैं, से बच्चों को परिचित कराना।
7	डिकोडिंग	बच्चों में चित्र ज्ञान, अक्षर ज्ञान और तथा शब्द पहचान की कुशलता का विकास करना।
8	निर्बाध / धाराप्रवाह पठन	बच्चों द्वारा किसी भी लिखी / छपी हुई सामग्री को समझकर धाराप्रवाह, शुद्धता और उपयुक्त हावभाव के साथ पढ़ना जिससे पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ समझने में आसानी हो
9	पठन के प्रति रूचि का विकास	इसमें भिन्न–भिन्न पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों से जुड़ने की प्रेरणा शामिल है।

2.2 बुनियादी संख्या ज्ञान

बुनियादी संख्या ज्ञान का उद्देश्य बच्चों में मूलभूत गणितीय कौशल का विकास करना है, ताकि बच्चे अपने दैनिक जीवन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में गणितीय सिद्धांतों का उपयोग कर सकें।

2.2.1 बुनियादी संख्या ज्ञान के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं –

क्र0	घटक	विवरण
1	संख्या पूर्व अवधारणा	संख्या ज्ञान से पहले के प्रारंभिक कौशल, जैसे विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण, एक–एक की संगति और क्रम से लगाना।
2	संख्या ज्ञान और संक्रियाएं	संख्याओं को पहचानना, लिखना, समझना और चार मूलभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर पाना।
3	आकार और स्थानिक समझ	अपने आस पास के विभिन्न ज्यामितीय आकृतिओं को समझ पाना ।
4	मापन	लम्बाई, वजन, धारिता और तापमान आदि की समझ।
5	पैटर्न	आकृति, शब्दों और संख्याओं के पैटर्न को समझना और उसे आगे बढ़ाना ।
6	आँकड़ों का प्रबंधन	अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों में साधारण आँकड़ों /जानकारी को इकट्ठा करना, प्रस्तुत करना और उसकी व्याख्या करना।
7	गणितीय संप्रेषण	गणितीय सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे सूचनाओं का आदान–प्रदान गणितीय शब्दावली और प्रतीकों के माध्यम से होता है।

◆◆◆

अध्याय–3

मिशन के कार्यान्वयन की रूपरेखा (Framework)

3.1 3–9 आयुवर्ग के बच्चों की वर्षवार (2022 से 2027 तक) संख्या का निर्धारण करना :
सभी स्तरों (आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर, प्रखंड, जिला एवं राज्य) पर 3–9 आयुवर्ग के बच्चों की वर्षवार संख्या की जानकारी रखी जाएगी ताकि FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक समेकित रणनीति बनाई जा सके।

3.2 बच्चों की वर्तमान उपलब्धि स्तर (बेसलाइन) के बारे में जानकारी रखना :
राज्य में 3–9 आयुवर्ग के बच्चों की उपलब्धि स्तर से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के बारे में सभी स्तरों (आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर, प्रखंड, जिला एवं राज्य) पर जानकारी रखी जाएगी एवं तद्नुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार की जाएगी।

3.3 FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्षवार (2022 से 2027 तक) लक्ष्यों का निर्धारण एवं उसके अनुसार पठन–पाठन के क्रियाकलाप की कार्य योजना बनाना :
राज्य एवं जिला स्तर पर FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्षवार लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पठन–पाठन इत्यादि के क्रियाकलापों की कार्य योजना बनाई जाएगी एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

3.4 बच्चों की उपलब्धि स्तर का नियमित आकलन, परिणामों का विश्लेषण एवं साझा करना तथा तदनुसार पठन–पाठन हेतु कार्य योजना बनाना :
बच्चों की उपलब्धि के आकलन हेतु दो तरह के आकलन की परिकल्पना की गई है :

3.4.1 स्कूल आधारित आकलन :
स्कूल स्तर पर बच्चों का Formative तथा Summative आकलन किया जाएगा, ताकि परिणामों का विश्लेषण कर बच्चों के सीखने की जरूरतों को समझ कर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा अपेक्षित सुधार लाया जा सके। राज्य एवं जिला स्तर पर गठित आकलन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यालयों को आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।

3.4.2 बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन :
राज्य एवं जिला स्तर पर गठित आकलन प्रकोष्ठ के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर का बड़े पैमाने पर आकलन किया जाएगा एवं परिणामों का विश्लेषण कर सभी हितधारकों के साथ उसे साझा किया जाएगा। परिणामों के आधार राज्य/जिले द्वारा आवश्यकतानुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण–अधिगम सामग्री का विकास एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा, ताकि प्रत्येक बच्चा FLN में निर्धारित लक्ष्यों को ससमय प्राप्त कर सके।

3.7 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संचालित गतिविधियों का प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण करना।
FLN के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों का प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा एवं यथावश्यक अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।

अध्याय–4

क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य एवं संरचना

4.1 लक्ष्यों का निर्धारण :

'मिशन निपुण बिहार' के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु बालवाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2026–27 तक प्राप्त किया जाना है :–

बालवाटिका	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3
• अक्षरों और संबंधित ध्वनियों को पहचानें। • कम से कम 2 से 3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ें। • 10 तक के अंकों को पहचानें और पढ़ें। • क्रम में संख्याओं/वस्तुओं/आकृतियों/घटनाओं को व्यवस्थित करें।	• अज्ञात पाठ में कम से कम 4–5 सरल शब्दों से युक्त छोटे वाक्य पढ़ें। • 99 तक की संख्याएँ पढ़ें और लिखें। • सरल जोड़ और घटाव करें।	• अर्थ के साथ 45–60 शब्द प्रति मिनट पढ़ें। • 999 तक की संख्याएँ पढ़ें और लिखें। • 99 तक की संख्या घटाएं।	• अर्थ के साथ कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ें। • 9999 तक की संख्याएँ पढ़ें और लिखें। • सरल गुणा की समस्याओं को हल करें।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में 'निपुण बिहार' के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) मिशन संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके लिए राज्य द्वारा तैयार रणनीति के अन्तर्गत निम्नवत् 5 स्तरीय संरचना स्थापित की गई है :–

क्र.	स्तर	संरचना
1.	राज्य	(क) राज्य संचालन समिति : अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया है। (ख) राज्य टास्क फोर्स : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित किया गया है। (ग) राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (SPMU) : राज्य स्तर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् में SPMU गठित किया गया है। (घ) राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् में 'आकलन प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है।

2.	जिला	(क) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 'जिला FLN मिशन' का गठन किया गया है। (ख) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यबल का गठन किया जाएगा। (ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी के अधीन जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (DPMU) का गठन किया जाएगा। (घ) जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 'आकलन प्रकोष्ठ' का गठन। जिन जिलों में DIET या CTE कार्यरत नहीं है वहाँ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान के नेतृत्व में आकलन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
3.	प्रखंड स्तर	(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 'प्रखंड FLN मिशन' का गठन किया जाएगा। (ख) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (Block FLN Programme Management Unit) का गठन किया जाएगा।
4	स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर	'स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर' (SCRC)/'शहरी स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर' (USCRC) स्तर पर FLN कोषांग की स्थापना की जाएगी।
5	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर पर FLN कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा एक नोडल शिक्षक को नामित किया जाएगा तथा कार्यक्रम के संचालन हेतु विद्यालय FLN कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (School FLN Programme Management Unit) का गठन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय शिक्षा समिति सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

4.2 मिशन की सफलता हेतु रणनीति :

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को राज्य स्तर पर एक मिशन के रूप में क्रियान्वयित करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा रही हैः–

4.2.1 शिक्षण अधिगम सामग्री

बुनियादी स्तर अर्थात 3–9 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को पठन–पाठन की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। अतः मुख्य शिक्षण सामग्री, अर्थात – पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त NCERT, SCERT, DIET तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बुनियादी स्तर के लिए आकर्षक, आनंदमय और नवाचारी अतिरिक्त अधिगम सामग्रियों का विकास किया गया है/जा रहा है। शिक्षण अधिगम सामग्री (टॉय

बेस्ड किट, ECCE किट, FLN किट, वर्कबुक, कहानी की किताबें, डिजिटल सामग्री आदि) की उपलब्धता राज्य/जिला के द्वारा विद्यालयों तक सुनिश्चित कराई जाएगी।

4.2.2 शिक्षकों का सतत क्षमता संवर्धन

बच्चों की बुनियादी शिक्षा एवं विकास में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, शिक्षक कक्षा और स्कूल में कई अन्य भूमिकाएं भी निभाते हैं, जैसे – वे अपनी कक्षाओं के लिए सुगमकर्ता की भूमिका में सीखने का माहौल आनंददायी और समावेशी बनाते हैं, बच्चों को सुनते हैं एवं उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसी बात को ध्यान में शिक्षकों की भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। शिक्षकें को विभिन्न प्रकार के पठन–पाठन से संबंधित तकनीकी कौशलों से अवगत होने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वे बच्चों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। साथ ही शिक्षकों को समय–समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण (ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से) दिया जाएगा। इसमें बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की अवधारणा, आकलन के विभिन्न तरीकों, दक्षता आधारित सीखना, अनुभव आधारित सीखना, नेतृत्व आदि विषय शामिल हैं।

4.2.3 SCERT/DIET के माध्यम से शैक्षणिक सहायता

राज्य स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) मिशन के तहत SCERT को शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए सहायक शिक्षण–अधिगम सामग्री तैयार करना है। कक्षा 1 से 3 तक के लिए सहायक शिक्षण–अधिगम सामग्री आकर्षक एवं आनंददायक होगी।

जिला स्तर पर DIET/PTEC/CTE की सहायता से स्थानीय भाषा एवं परिवेश के अनुरूप शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए सहायक शिक्षण–अधिगम सामग्री तैयार किए जायेंगे। इस हेतु जिला स्तर पर शैक्षणिक संसाधन समूह बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ एवं शैक्षिक पदाधिकारियों आदि शामिल होंगे।

4.2.4 दीक्षा डिजिटल सामग्री

शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में ई-सामग्री दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। शिक्षकों के क्षमतावर्द्धन के साथ–साथ विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध ई-सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

4.2.5 बच्चों के सीखने का आकलन/मूल्यांकन

हर बच्चे के सीखने का तरीका और सीखने की रफ़्तार अलग - अलग होती है, उसके पीछे का कारण हर बच्चे का भिन्न सामाजिक परिवेश है । अतः आकलन की विविध तकनीकों

का उपयोग करके सतत और व्यापक तरीके से बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए आकलन जरूरी है। आकलन को मोटे तौर पर दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है :

4.2.5.1 स्कूल आधारित आकलन (SBA)

विद्यालय आधारित आकलन शिक्षण अधिगम (टीचिंग – लर्निंग) का एक अभिन्न हिस्सा है। विद्यालय आधारित आकलन बच्चों के सीखने की जरूरतों को समझने एवं सीखने की प्रक्रिया में कोई परेशानी आ रही हो तो उसे दूर करने में शिक्षकों की मदद करता है। शिक्षक स्कूल आधारित आकलन करने हेतु विभिन्न साधनों और तकनीकों, जैसे वास्तविक रिकार्ड, जाँच–सूची, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो और संवाद (शिक्षकों, साथियों, परिवार और दोस्तों के साथ पूरे 360–डिग्री मूल्यांकन / होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।

4.2.5.2 बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन

बड़े पैमाने पर आकलन यह निर्धारित करता है कि अधिगम प्रक्रिया राज्य, जिलों और प्रखंडों में कितनी अच्छी तरह से हो रही है। बड़े पैमाने पर आकलन अध्ययन करने के लिए आमतौर पर बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे आकलन साधनों का उपयोग किया जाता है ताकि प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। NCERT द्वारा कराया जाने वाला NAS (National Achievement Survey) बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन का एक सटीक उदाहरण है। इस वर्ष बिहार में SCERT द्वारा NAS के तर्ज पर राज्य में बुनियादी स्तर पर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को समझने हेतु बड़े पैमाने पर आकलन करया गया है। इस मानकीकृत आकलन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग बच्चों के सीखने के प्रतिफलों को बेहतर करने हेतु नीति एवं योजना निर्माण तथा सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं को और बेहतर एवं प्रभावशाली तरीके से डिज़ाइन करने में किया जाएगा।

4.2.6 सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)

किसी भी कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) का महत्वपूर्ण स्थान होता है। IEC के माध्यम से कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी का प्रसार किया जाता है ताकि कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारक उसमें अपना सहयोग दे सकें तथा कार्यक्रम का लाभ लक्षित वर्ग को मिल सके।

निपुण बिहार की सफलता के लिए समुदाय स्तर पर शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना अपेक्षित है। व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार योजना (IEC Plan) का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन ज़रूरी है। इसके लिए सभी हितधारकों, लाभान्वितों, सामाजिक संस्थाओं और समुदायों को एक साथ लाने के लिए राज्य और जिला स्तरीय योजना बनाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सभी हितधारकों और लाभान्वितों, सामाजिक संस्थाओं और समुदायें द्वारा की जाने वाली गतिविधियों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे :–

- मिशन की सफलता के लिए शैक्षिक तंत्र, स्कूल और सामुदायिक स्तर पर सभी हितधारकों के बीच मिशन के लक्ष्यों के संबंध में स्पष्ट संचार एवं संवाद स्थापित किये जाएंगे।
- राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को निपुण बिहार के लक्ष्यों और क्रियान्वयन की रणनीतियों से परिचित करया जाएगा।
- टेलीविज़न, समाचार-पत्र, रेडियो, सोशल मीडिया पर 'मिशन निपुण बिहार' के संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाएगा।
- समय-समय पर राज्य स्तर से IEC सामग्री विकसित कर उनके प्रेषण एवं उपयोग हेतु ज़िलों के साथ साझा किये जाएंगे।
- अभिभावक एक प्रमुख हितधारक हैं, अतः उनके बीच जागरूता फैलाने के लिए विद्यालय स्तर से स्थानीय भाषा/बोली में IEC सामग्री विकसित कर अभिवकों के बीच प्रेषित किये जाएंगे ताकि वे कार्यक्रम एवं बच्चों की बुनिदयादी शिक्षा में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें।

4.2.7 अनुश्रवण और मूल्यांकन

वर्ष 2026–27 तक 'मिशन निपुण बिहार' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा 5 स्तरीय तंत्र (राज्य–जिला–प्रखंड–स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर एवं विद्यालय) स्थापित किया गया है। हर एक स्तर पर मिशन के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों का नोडल विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए आईटी आधारित संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ मौजूदा प्लेटफार्म जैसे – UDISE एवं DIKSHA को भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाए।

◆◆◆

अध्याय–5

प्रमुख हितधारक एवं उनकी भूमिका

राज्य द्वारा मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन से जुड़े सभी परोक्ष एवं अपरोक्ष हितधारकों को अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अति आवश्यक है, अतएव इस अध्याय में वर्ष 2026–27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण है । इन हितधारकों को राज्य, जिला, प्रखंड, स्कूल काम्प्लेक्स, स्कूल आदि स्तर पर बाँटा गया है :–

5.1. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार :

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जो कि राज्य में 'निपुण बिहार' कार्यक्रम के मिशन निदेशक हैं।

- निदेशालय स्तर से FLN मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग देना। 'राज्य संचालन समिति' को कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना।
- जिला एवं प्रखंड स्तर पर मिशन के कार्यों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन प्रदान करना।
- मिशन से जुड़े विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
- FLN को मिशन मोड में लागू करने के लिए प्रत्येक स्तर के कर्मियों का व्यापक क्षमता–निर्माण संबंधी गतिविधियों की योजना बनाना।
- FLN से जुड़ी आवश्यकताओं की मैपिंग कराना एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले बच्चों को पाठ्यपुस्तकों एवं पोशाक का वितरण सुनिश्चित करवाना।
- विद्यालय में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

5.2. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् :

- FLN से संबंधित समग्र शिक्षा अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना बनाना तथा उनका क्रियान्वयन कराना।
- FLN मिशन से जुड़े विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

- जिलों को समग्र शिक्षा अन्तर्गत अनुमोदित गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- FLN मिशन का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करना।
- विद्यालयों की आवश्यकताओं की पहचान करना एवं FLN से सम्बंधित आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- सत्र के प्रारंभ में शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तकों एवं पोशाक उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

5.3 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् :

- राज्य में चल रहे FLN मिशन के नोडल अकादमिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना एवं एक निश्चित अंतराल (मासिक) पर नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा करना।
- FLN से जुड़े शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कर, उनके क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न तरह के प्रशिक्षण आयोजित कराना तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण अधिगम सामग्री तथा अन्य सहायक सामग्री विकसित करना।
- FLN के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, प्रखंड, स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर) पर संसाधन समूह का निर्माण कराना एवं विशेषज्ञों के माध्यम से संसाधन समूह के सदस्यों का क्षमतावर्द्धन कराना।
- राज्य स्तर पर आकलन प्रकोष्ठ का गठन कर उसे सक्रिय करना। इसके अन्तर्गत 'विद्यालय आधारित आकलन' के लिए दिशा निर्देश जारी करना, आकलन संबंधी क्रियाकलापों का अनुश्रण करना एवं अनुसमर्थन प्रदान करना। 'बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन' की कार्ययोजना बनाना, क्रियान्वयन कराना तथा परिणामों को विभिन्न हितधारकों के साथ साझा करना तथा इसके आधार पर सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार हेतु योजना बनाना।
- DIKSHA पर उपलब्ध FLN संबंधित ई–सामग्री का स्थानीय भाषा में अनुवाद करा कर शिक्षकों/विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।
- जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के आलोक में DIET एवं अन्य सहयोगी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।

5.4 समाज कल्याण विभाग :

- FLN मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग से समन्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी का मनोनयन करना।

- मिशन से जुड़े राज्य एवं जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेना तथा आवश्यक सुझाव देना।
- मिशन से संबंधित योजना निर्माण में शिक्षा विभाग को सहयोग प्रदान करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं विद्यालय के साथ बेहतर समन्वय हेतु कार्य करना।

5.5 पंचायती राज संस्थाएं :

- प्रत्येक स्तर (पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम) पर FLN मिशन को नेतृत्व प्रदान करना एवं मिशन से जुड़ी गतिविधियों में शिक्षा विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- FLN संबंधी कार्यक्रमों की बैठकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेना तथा उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में FLN के बिन्दुओं को शामिल करना।
- बच्चों की शिक्षा हेतु आयोजित गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त निधि से नियमानुसार विद्यालय को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- पचांयत द्वारा अपने क्षेत्र में विभन्न समुदाय के अभिभावकों को विद्यालय में 3–6 आयुवर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
- अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना।

5.6 जिला पदाधिकारी :

- जिला स्तर पर समय–समय पर 'जिला FLN मिशन' की बैठक आहूत करना।
- मिशन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए योजना–निर्माण तथा नियमित अंतराल पर प्रगति की समीक्षा करना।
- जिला स्तर पर FLN मिशन के लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा इसकी प्राप्ति के लिए योजना बनाना।
- FLN मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश देना।

5.7 जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी :

- जिला FLN मिशन की बैठकें नियमित हों, इसकी पहल करना तथा बैठक में जिला पदाधिकारी को जिला की योजना बनाने, जिले के विभिन्न आंकड़े, आकलन रिपोर्ट, विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी आंकड़ों को बैठक में प्रस्तुत करना।
- मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री एवं राशि, यथा – पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री, पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि आदि की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- विद्यालय स्तर पर FLN मिशन संबंधी होने वाली गतिविधियों का अनुश्रवण करना एवं आवश्यकतानुसार अनुसमर्थन प्रदान करना।
- DIET के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षकों के आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना।
- जिला स्तर पर अन्य विभागों के साथ–साथ डायट, प्रखंड रिसोर्स सेंटर, स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर तथा विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित कराना।
- स्थानीय भाषा/बोली में IEC सामग्री का निर्माण कराकर उनका उपयोग सुनिश्चित करना तथा राज्य से प्राप्त सामग्री का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना।

5.8 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

- FLN मिशन की जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेना एवं योजना बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- FLN मिशन के लिए एक अकादमिक संसाधन समूह एवं असेसमेंट सेल (आकलन प्रकोष्ठ) का गठन करना।
- SCERT द्वारा निर्धारित आकलन प्रक्रियाओं का जिला स्तर पर क्रियान्वयन करना तथा संबंधित हितधारकों का क्षमतावर्द्धन करना।
- समय–समय पर कार्य योजना के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर के संचालक, समुदाय के सदस्यों एवं शिक्षा से जुड़े लोगों के साथ बैठक का आयोजन करना शैक्षणिक सुधार की योजना तैयार करने में सहयोग करना।
- FLN मिशन के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के बेहतर प्रदर्शन हेतु रणनीति तैयार करना तथा विद्यालयों को संसूचित किया जाना सुनिश्चित करना।

5.9 प्रखंड विकास पदाधिकारी :

- प्रखंड स्तर पर समय–समय पर 'प्रखंड FLN मिशन' की बैठक आहूत करना।
- मिशन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए योजना बनाना तथा नियमित अंतराल पर प्रगति की समीक्षा करना।
- प्रखंड स्तर पर FLN मिशन के लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा इसकी प्राप्ति के लिए योजना बनाना।
- FLN मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर एवं विद्यालयों को आवश्यक निर्देश देना।

5.10 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी :

- प्रखंड FLN मिशन की बैठकें नियमित हों, इसकी पहल करना तथा बैठक में प्रखंड के विभिन्न आंकड़े, आकलन रिपोर्ट, विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत करना।
- जिला एवं डायट स्तर पर FLN संबंधी बैठकों में भाग लेना तथा प्रखंड में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराना।
- मिशन FLN संबंधी कार्यक्रमों का 'स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर' एवं विद्यालय के साथ मिलकर योजनानुसार क्रियान्वयन कराना, नियमित अनुश्रवण करना तथा आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करना।
- मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री एवं राशि, यथा – पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री, पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि आदि की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- FLN संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु अन्य सूचनाओं का आदान–प्रदान करना तथा प्राप्त निर्देशों / सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- FLN संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण चर्याओं का नियमित निरीक्षण करना तथा शिक्षकों का क्षमतावर्द्धन कराना।
- FLN संबंधी कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार सामग्री का समुचित निर्माण एवं उपयोग कराना।

5.11 स्कूल कॉम्पलेक्स रिसोर्स सेंटर (SCRC)/USCRC) :

- SCRC/USCRC स्तर पर FLN कोषांग का गठन करना।
- SCRC/USCRC के पोषक क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं एवं विद्यालय के शिक्षकों को मिशन के लक्ष्यों से अवगत कराना।
- SCRC/USCRC के अन्तर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं एवं विद्यालयों के प्रधाध्यापकों के साथ FLN मिशन के क्रियान्वयन एवं प्रगति तथा आकलन के परिणामों की समीक्षा कर आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करना।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय कर आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों के लिए FLN मिशन से जुड़ी संसाधन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अभिभावकों और समुदाय के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से FLN मिशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।
- FLN कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए समुदाय स्तर पर नुक्कड़ नाटक, गायन, उद्घोषणा, चित्रकारी, दीवार लेखन, विज्ञापन आदि का क्रियान्वयन कराना।
- विद्यालयों में बच्चों से कहानी सुनना–सुनाना, गतिविधि कराना सुनिश्चित करना।
- FLN मिशन के अंतर्गत अभिभावकों एवं समुदाय को बच्चों के लिए निर्धारित अधिगम स्तर एवं प्रतिफल की प्रगति से अवगत कराना।
- बच्चों, अभिभावकों एवं समुदाय के सदस्यों के बीच पठन संस्कृति विकसित करने के लिए छोटे–छोटे पुस्तकालय, पठन मेला, कहानी वाचन समूह आदि का आयोजन करना।

5.12 प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक :

- विद्यालय स्तर पर विद्यालय PMU का गठन कर सदस्यों के साथ नियमित बैठक आयोजित करना।
- FLN के उद्देश्यों को विस्तार से समझकर उन्हें विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से क्रियान्वयन कराना।
- विभिन्न क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, विभिन्न स्तरों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेना।
- FLN के लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालय स्तर पर एक व्यापक गुणवत्ता सुधार योजना तैयार करना।

- बच्चों के शैक्षिक विकास का नियमित अवलोकन, मूल्यांकन/आकलन करना तथा प्रगति का संधारण कर समय–समय पर समीक्षा करना।
- विद्यालय को समुदाय के साथ जोड़ने हेतु अभिभावकों एवं समुदाय के साथ बैठक कर उन्हें बच्चों के अधिगम स्तर एवं प्रतिफल से अवगत कराना।

5.13 विद्यालय के शिक्षक :

- बुनियादी शिक्षा के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ समझना।
- FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक विश्वास और दृष्टिकोण अपनाना।
- विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्र रूप से बातचीत करने, अपने अनुभवों को साझा करने, विद्यालयगत विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कहने आदि के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करना।
- सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को रोचक, सहज एवं गतिविधि आधारित बनाना।
- कक्षा में गणित और भाषा सीखन की प्रक्रिया में बच्चों के संदर्भ और वास्तविक दुनियाँ के अनुभवों से जोड़ना।
- अधिगम प्राप्ति में पिछड़ रहे छात्र/छात्राओं पर विशेष ध्यान देना।
- विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने–बढ़ने के लिए समावेशी वातावरण उपलब्ध कराना।
- बच्चों के शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक पहलुओं का सतत आकलन एवं मूल्यांकन करना।
- वर्ग–कक्ष में प्रिंट–समृद्ध वातावरण बनाना।
- शिक्षक–अभिभावक बैठक में बच्चों की अधिगम प्रगति, उपस्थिति, विद्यालय विकास योजना जैसे मुद्दे पर चर्चा करना तथा अभिभावकों का सुझाव प्राप्त करना।

5.14 सिविल सोसायटी संगठन / गैर सरकारी संगठन :

- मिशन से जुड़े हुए विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण करना।
- विभिन्न हितधारकों के बीच मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- सरकारी पदाधिकारियों को मिश्न से जुड़ी गतिविधियों में अनुसमर्थन प्रदान करना ।

5.15 शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) :

- FLN मिशन के उद्देश्यों को समझना।
- बच्चों की विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
- बच्चों के सीखने के प्रतिफलों के बारे में स्पष्ट जानकारी रखना।
- FLN मिशन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणो में भाग लेना तथा समुदाय के बीच इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार करना।

5.16 विद्यालय शिक्षा समिति :

- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के सभी लोग मिशन से संबंधित कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ के हिस्सा लें।
- शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की सहायता से 'स्कूल तैयारी मेला'/गुणोत्सव/प्रवेशोत्सव आदि का आयोजन कराना।
- विद्यालयों में शिक्षक–अभिभावक बैठक का नियमित रूप से आयोजन कराना तथा बैठक में शिक्षकों के माध्यम से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, प्रदर्शनों, परियोजनाओं आदि को अभिभावकों के साथ साझा कराना।
- समुदाय में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) मिशन संबंधी नियमित गतिविधिया जो समुदाय में की जा सकती हैं, का आयोजन करना।
- ऐसे अभिभावकों की पहचान कर उनको सम्मानित कराना, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया हो अथवा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद की हो – जैसे विद्यालय रोज भेजना, गृह कार्य में मदद करना इत्यादि।
- नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NKYS), नेशनल सर्विस स्कीम (NSS), नेशनल कैडेट कोर (NCC) एवं अन्य स्वयंसेवकों के माध्यम से गांव में शिक्षा एवं मिशन के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।
- प्री–स्कूल से कक्षा 3 तक प्रत्येक स्तर के सीखने के परिणामों की व्याख्या करने वाले इन्फोग्राफिक्स/पोस्टर/प्रस्तुतियों को समुदाय में वितरित करना, जिससे सभी हितधारक (छात्र, शिक्षक, माता–पिता, समुदाय) सरल तरीके से इसे समझ सकें।
- विद्यालय स्तर पर बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय एवं घर में बच्चों को आयु के अनुसार उपयुक्त पोषाहार मिले।

- माता–पिता, शिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन की सक्रिय भागीदारी के लिए राज्य मिशन के निर्देशों के अनुसार जमीनी स्तर पर IEC गतिविधियों और व्यवहार परिवर्तन अभियान को चलाने में विद्यालय को सहयोग करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं और उनके घर का वातावरण बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता हो।

5.17 अभिभावक :

- अपने बच्चों को विद्यालय में उम्र–सापेक्ष कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करना।
- शिक्षक–अभिभावक बैठक में भाग लेकर बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ बात–चीत करना।
- बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजना तथा विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना।
- विद्यालय हुई पढ़ाई एवं गतिविधियों के बारे में बच्चों से घर पर बात–चीत करना तथा गृह कार्य पूरा करने हेतु सहयोग देना।
- बच्चों को किताबें पढ़ने, खेल खेलने, एक साथ गाना गाने, एक साथ तुकबंदी करने, आवाज के संयोजन के साथ कहानियां सुनाने आदि जैसी गतिविधियां कराना।

◆◆◆